


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री प्रद्युम्न कुमार बनाम कन्हैयालाल (गौर)

किस्म मुकदमा प्राठ वक्र 111-128 नं० 134 सन् 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.6.23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.6.23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली मछगाई राखत कैंप एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत माण्डल में पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल डोकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फँसल शुमार डोकर मन्वर से कम है।</p>	<p>हुकमीचत्त शैहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p> 

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारसीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 134/23 प्राप्पत्र

1- श्री प्रद्युम्न कुमार श. श्री मिश्री लाल शर्मा निवासी- गंटेरा कॉलोनी भाण्डल
तहसील- भाण्डल

-प्रार्थी-

बनाम

1- श्री कर्दया लाल श. श्री- चम्पालाल बलाई निवासी- भाण्डल तहसील- भाण्डल (पूर्व)
(प्रवांकिता प्राप्पत्र संख्या)
-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....भाण्डल.....पटवार हल्का.....भाण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 10326/4530.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.1584.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनाथ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....भाण्डल.....पटवार हल्का.....भाण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....10326/4530.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.1584 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....भाण्डल को.....500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023